01/03/2023 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण
के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली
किया जाता है। विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा
प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ अतः
उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया
पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिसके आधार
पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
करने योग्य है। अतः तत्सम्बंधी निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

(हस्ताक्षर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 381/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सदराम वगैरा बनाम ओमप्रकाश वगैरा

…सीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

…र्थी वकील – हासम खान समेजा

निर्णय

दिनांक – 31/03/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा एहसान का तला के खेत खसरा संख्य 44 रकबा 18.3484 हैक्ट. व ग्राम–ढेम्बा के खसरा संख्या 241/173 रकबा 9.8581 हैक्ट. खसरा संख्या 26 रकबा 3.0028 हैक्ट. खसरा संख्या 302/100 रकबा 2.1205 खसरा संख्या 304/118 रकबा 7.6081 हैक्ट. स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा एहसान का तला के खेत खसरा संख्य 44 रकबा 18.3484 हैक्ट. व ग्राम–ढेम्बा के खसरा संख्या 241/173 रकबा 9.8581 हैक्ट. खसरा संख्या 26 रकबा 3.0028 हैक्ट. खसरा संख्या 302/100 रकबा 2.1205 खसरा संख्या 304/118 रकबा 7.6081 हैक्टस्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करे ताकि नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

...यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

...सान पुत्र खानु 2. सारा पुत्री खानु ...तियान मुसलमान निवासीगण एहसान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	**विप्रार्थीगण** 1.उरस पुत्र अलीम 2. जानू पुत्र अलीम 3. अली मोहम्मद पुत्र रायधन 4. सिकिलधा पुत्र रायधन 5. अमिनत पत्नी मलूक 6. जयीमत पत्नी जूणस जातियान मुसलमान निवासीगण एहसान का तला 7. दादा पत्नी अब्दुलहई 8. मुस्ताव पुत्र मिठू 9. हैयात पुत्र हसण 10. इस्लामदीन पुत्र मोमदमिया 11. रोशन पुत्र मोहमदमिया 12. सुखन पत्नी मोहमदमिया 13. अनवर पुत्र नजर मोहम्मद 14. अयुब पुत्र नजर नजर मोहम्मद 15. गुलाम हेदर पुत्र अहमद अली 16. नवाबअली पुत्र तारमोहम्मद 17.कामिल पुत्र अमीन 18. निसार पुत्र संधार 19. मिनखान पुत्र उसमान 20.सुरजकंवर पत्नी खुमानसिंह जाति राजपुत 21. अब्दुल रहमान पुत्र माहमूद 22. अलीफ पुत्र कयूम 23.कादू पुत्र शोंकतअली 24. फादल पुत्र खमीशा 25. सुजाखान पुत्र माहमूद 26.हसण पुत्र जकरिया 27. अबास पुत्र आचार 28. इब्राहीम पुत्र आचार 29. अजीज पुत्र मुनीम30. आजल पुत्र मुनीम 31. मोहमद पुत्र आहमद 32. लतीफ पुत्र मुनीम 33. सालेमोहम्मद पुत्र आहमद 34 हुसैन पुत्र आहमद जातियान मुसलमान निवासीगण ढेम्बा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 35 राज्य सरकार तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 381/2022 दिनांक : 31/03/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा एहसान का तला के खेत 44 रकबा 18.3484 हैक्ट. व ग्राम–ढेम्बा के खसरा संख्या 241/173 रकबा 9.8581 हैक्ट. खसरा संख्या 26 रकबा 3.0028 हैक्ट. खसरा संख्या 302/100 रकबा 2.1205 खसरा संख्या 304/118 रकबा 7.6081 हैक्ट. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/498-502 दिनांक 4/04/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी एहसान पुत्र खानु वगैरा
3. विप्रार्थीगण. उरस पुत्र अलीम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा